भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1390
मंगलवार, 26 जुलाई, 2022/04 श्रावण, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक

†1390. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ:
श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक-आपराधिक कानून (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 और आंध्र प्रदेश दिशा (महिलाओं और बच्चों के खिलाफ निर्दिष्ट अपराधों के लिए विशेष न्यायालय) विधेयक, 2020 पर संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा की गई आपत्तियों और मांगे गए स्पष्टीकरण के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार से उत्तर प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है;

(ख) किन-किन तिथियों पर उक्त आपत्तियां उठाई गई थीं और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था और किन-किन तिथियों पर केंद्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उक्त से सम्बन्धित उत्तर प्राप्त हुए;

(ग) क्या सरकार का उक्त विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के उक्त विधेयकों पर की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (ङ): माननीय राष्ट्रपति की सहमति के लिए "आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक- दण्ड विधि (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019" और "आंध्र प्रदेश दिशा (महिलाओं और बच्चों के खिलाफ निर्दिष्ट अपराधों के लिए विशेष न्यायालय) विधेयक, 2020" क्रमशः दिनांक 07.01.2020 और 01.01.2021 को प्राप्त हुए थे। प्रथा के अनुसार, भारत के माननीय राष्ट्रपति की सहमति के लिए, राज्यों से प्राप्त विधेयकों पर कार्रवाई नोडल केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श से की जाती है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1390 (दिनांकः 26.07.2022)

"आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक- दण्ड विधि (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019" पर नोडल मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों को आंध्र प्रदेश सरकार के साथ दिनांक 30.09.2020, 19.02.2021, 01.07.2021, 27.07.2021 और 29.10.2021 को साझा किया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने इन टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण दिनांक 15.12.2020, 26.05.2021, 17.09.2021, 17.03.2022 के पत्रों के माध्यम से प्रदान किए हैं। महिला सुरक्षा प्रभाग, गृह मंत्रालय की टिप्पणियों को स्पष्टीकरण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ दिनांक 31.05.2022 को साझा किया गया है।

"आंध्र प्रदेश दिशा (महिलाओं और बच्चों के खिलाफ निर्दिष्ट अपराधों के लिए विशेष न्यायालय) विधेयक, 2020" पर नोडल मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों को आंध्र प्रदेश सरकार के साथ दिनांक 02.07.2021 को साझा किया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने 01.10.2021 को इन टिप्पणियों पर अपना स्पष्टीकरण प्रदान कर दिया था। तथापि, विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी कार्य विभाग) ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ परामर्श करके इस विधेयक के प्रावधानों पर पुनः जांच किए जाने की सलाह दी है। विधायी कार्य विभाग की टिप्पणियां महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और महिला सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय की टिप्पणियों के लिए उन्हें दिनांक 04.03.2022 को साझा की गई हैं।

इस मामले में तेजी लाने के लिए, एक बैठक दिनांक 14.07.2022 को आयोजित की गई थी, जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार और नोडल केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

******